न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर शिविर, भो

प्र0कं0 : निगरानी...../14 रा

(1) **जंग बहादुर** पुत्र श्री अर्जुन सिंह
(2) **बहादुर सिंह** पुत्र श्री मोती सिंह
निवासीगण–ग्राम हालूखेड़ीकलां,
तह0 पचौर, जिला–राजगढ़ (म0प्र0)–**निगरानीकत**

विरुद्ध

(1) **प्रहलाद सिंह** पुत्र श्री सोहन सिंह
(2) **इन्दर सिंह** पुत्र श्री सोहन सिंह
(3) **नारायण सिंह** पुत्र श्री बने सिंह
(4) **कमल सिंह** पुत्र श्री बैजनाथ
(5) **अर्जुन सिंह** पुत्र श्री बैजनाथ
निवासीगण–ग्राम हालूखेड़ीकलां,
तह0 पचौर, जिला–राजगढ़ (म0प्र0)– **प्रत्यर्थ**

निगरानी अंतर्गत धारा–50 सहपठित धारा–8
म0प्र0भू0रा0संहिता–1959

महोदय,

निगरानीकर्ता माननीय अधीक्षक, भू–अभिलेख जिला
द्वारा कं0–1946/17/भू0अ0/विविध/2013 दिनाँक
जिसके द्वारा उन्होंने माननीय अपर कलेक्टर महोदय, रा
निर्देश के पालन में विधि विरुद्ध जांच प्रतिवेदन, पंचनामा
अवैध तरीके से अपने पास रखते हुए प्रत्यर्थीगण को
कार्यवाही करने हेतु उपलब्ध कराने से दुःखित एवं असंत
निम्नानुसार यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्य
एवं 2 माननीय अपर जिलाध्यक्ष महोदय को आवे
12.09.13 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्थित ग्राम हा

निरं

पक्षकारों एवं अभिभ
आदि के हस्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 897/III/ 2014 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3.4.2014	यह निगरानी अधीक्षक, भू अभिलेख, जिला राजगढ़ व्दारा अपर कलेक्टर, राजगढ़ को प्रस्तुत प्रतिवेदन कमांक 1946/17/भू0अभि0/विविध/2013 दिनांक 30–12–13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकों के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर राजगढ़ के निर्देशों पर अधीक्षक, भू अभिलेख, जिला राजगढ़ ने ग्राम हालूखेड़ीकलॉ की भूमि स.नं. 121/2/1, 207/2 434/190/1 की सीमाओं की गलत ढंग से जांच की है एंव आवेदक के साथ अनावेदक 3 से 5 का एक–दूसरे की भूमि पर कब्जा बताते हुये एक पंचनामा एंव अक्स बनाकर जांच प्रतिवेदन तैयार किया है, जिसके विरूद्व यह निगरानी है अधीक्षक भू अभिलेख जिला राजगढ़ का पंचनामा, जांच प्रतिवेदन निरस्त किया जावे। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अधीक्षक भू अभिलेख जिला राजगढ़ के जांच प्रतिवेदन दिनांक 30.12.13, उनके व्दारा स्थल पर तैयार किये गये पंचनामा	

की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन पर पाया गया कि अपर कलेक्टर राजगढ को प्रहलाद सिंह, इन्दरसिंह व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दि. 12.9.13 के कम में सीमांकन हेतु गठित जांच दल के साथ मौके की जांच की है एंव पाई गई स्थिति अनुसार जांच प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को प्रस्तुत किया है, उन्होंने किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया है।

4/ जहॉ तक अधीक्षक, भू अभिलेख, जिला राजगढ़ के प्रतिवेदन कमांक 1946/17/ भू0 अभि0/ विविध/ 2013 दिनांक 30–12–13 को निरस्त किये जाने का प्रश्न है ? आवेदकगण को अपर कलेक्टर राजगढ़ के समक्ष प्रकरण में उपस्थित होकर स्वयं् की ओर से लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने एंव अन्य प्रकार की आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है, यदि अपर कलेक्टर, राजगढ़ आवेदकगण की सुनवाई नहीं करते हैं अथवा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर किसी प्रकारण का निर्णय लेते हैं, आवेदकगण को सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी प्रस्तुत करने का भी उपचार प्राप्त है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य